UPJL010072342025

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

उपस्थित– विरजेन्द्र कुमार सिंह, एच0जे0एस0

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–202/2025

सचिन यादव उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र श्री बृजराज सिंह निवासी ग्राम किल्ली सुल्तानपुर, थाना बसरेहर, जनपद इटावा.....पुनरीक्षणकर्ता,

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश.....प्रतिपक्षी।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण वाद संख्या 2369/2025 सरकार बनाम सचिन यादव मुकदमा अपराध संख्या 129/2022, अन्तर्गत धारा 323, 353, 352, 307, 504, 506, 427, 420, 379, 411 भा0दं0सं0 एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट एवं धारा 3(2) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना माधौगढ, जिला जालौन के प्रकरण में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.12.2025, के विरूद्ध योजित किया गया है। प्रश्नगत आदेश के माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त मामले में थाना माधौगढ, जिला जालौन में निरूद्ध वाहन संख्या यू0पी075एटी–9706 को अवमुक्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अंगद सिंह, उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा थाना माधौगढ़, जिला जालौन पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 22.10.2022 को वह हमराह सुरक्षा कर्मियों व अन्य पुलिस बल के साथ अवैध खनिज लदे ट्रको/वाहनो की संयुक्त चेंकिग कर रहा था, तभी समय करीब रात्रि 10:00 बजे एक ओवरलोड मौरम लदी ट्रक दिखाई दिया, जिसके प्रपत्र चेक करने हेतु रोका गया तो उसके साथ चल रहे सफेद रंग की स्कार्पियो सवार व्यक्ति ने उक्त ट्रक चालक से कहा भाग चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। इस पर उक्त स्कार्पियो गाड़ी सवार व ट्रक चालक अपनी गाड़ी को छिरिया सलेमपुर की तरफ भगाने लगे। इस पर उसने व चौकी प्रभारी बंगरा द्वारा अपनी–अपनी सरकारी गाड़ियों से पीछा किया गया, किन्तु वह लोग अत्यधिक तेज गति से गाड़ी चलाते रहे और सरकारी गाड़ियों में टक्कर मारकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। सार्वजनिक मार्ग एक्सप्रेस–वे पर उनके द्वारा हम लोगों द्वारा किये जा रहे सरकारी कार्य के दौरान इस भयानक हमले से मार्ग पर चले ट्रकों व अन्य चार पहिया वाहन चालकों के बीच अफरा तफरी मच गयी व सभी भयभीत होकर भागने लगे। उक्त ट्रक चालक व उसके साथ चल रहे स्कार्पियो सवार द्वारा चोरी की खनिज/मौरम का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसको रोकने व नियत्रंण के प्रयास के दौरान उन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से हम पर ट्रक चढ़ाया गया तथा उनके द्वारा किये गये दुस्साहसिक आपराधिक कृत्य से सड़क सरेआम पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इन लोगों द्वारा गिरोह बनाकर अपनी गाड़ी

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:33:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की पहचाने छुपाने के लिए उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर को पेन्ट से पोत दिया गया है व एकराय होकर हमला किया गया है।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना माधौगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या–129/2022 पर धारा 332, 353, 352, 307, 504, 506, 427, 420, 379, भा0दं0सं0 एवं धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट व धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अन्तर्गत स्कार्पियो सवार अज्ञात व्यक्ति एवं ट्रक चालक नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया तथा दौरान विवेचना उपरोक्त वाहनों को कब्जा पुलिस में लिया गया, जिसे अवमुक्त कराये जाने हेतु पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक की ओर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया वह वाहन संख्या यू0पी0 75एटी–9706 का पंजीकृत स्वामी है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 23461/2025 दिनांकित 08.07.2025 में उक्त केस की सम्पूर्ण कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। ऐसी दशा में प्रार्थी के जब्त वाहन को अवमुक्त किया जाए, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त इस टिप्पणी के साथ अवमुक्ति प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया कि ''कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट की आख्या से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन के संबंध में जब्त किये जाने की संस्तुति सहित आख्या सत्र न्यायालय, विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधिनियम जालौन स्थान उरई को संदर्भित किया जा चुका है। उपरोक्त दशा में न तो प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय है और न ही स्वीकार किये जाने योग्य है।'' इसी आदेश से क्षुब्धता प्रकट करते हुए यह दाण्डिक पुनरीक्षण योजित किया गया है।

3. मेरे द्वारा प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन करा गया।

4. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 129/2022 धारा 323, 453, 352, 307, 504, 506, 427, 420, 379, 411 भा0दं0सं0 व धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व धारा 7 कि0 लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट व धारा 3(2) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 23461/2025 में पारित आदेश दिनांकित 08.07.2025 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अतः पुनरीक्षण स्वीकार कर आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए उक्त वाहन को निगरानीकर्ता के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का तर्क दिया गया है।

5. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा यह कथन करा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है और इस निगरानी को निरस्त करने का तर्क दिया गया है।

6. पत्रावली का परिशीलन करने पर यह विदित हो रहा है कि विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिनांकित 03.12.2025 पारित करते हुए निगरानीकर्ता का वाहन अवमुक्ति प्रार्थना पत्र निरस्त करने में यह आधार लिया गया है कि ''कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट की आख्या से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन के संबंध में जब्त किये जाने की संस्तुति सहित आख्या सत्र न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गिरोह

बन्द अधिनियम, जालौन स्थान उरई को संदर्भित किया जा चुका है। उपरोक्त दशा में न तो प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय है और न ही स्वीकार किये जाने योग्य है।''

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मुकदमा संख्या 5582/2022 सरकार प्रति सचिन यादव आदि मुकदमा अपराध संख्या 129/2022 धारा 332, 353, 352, 307, 504, 506, 427, 420, 379, 411 भा0दं0सं0 व धारा 4/21 खान व खनन अधिनियम व धारा 7 क्रि0 लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट एवं धारा 3(2) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना माधौगढ़, जिला जालौन के प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 23461/2025 रामवीर तथा दो अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 08.07.2025 के अनुक्रम में दिनांक 01.09.2025 को पारित आदेश की छायाप्रति मौजूद है, जिसके द्वारा उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही को समाप्त किया गया था।

उक्त प्रकरण में संबंधित थाना से भी आख्या आहूत की गयी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त ट्रक थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 129/2022 धारा 332, 353, 352, 307, 504, 506, 427, 420, 379, 411 भा0दं0सं0 व धारा 4/21 खान व खनन अधिनियम व धारा 7 क्रि0 लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट एवं धारा 3(2) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम से संबंधित माल मुकदमाती है जो थाना हाजा पर दाखिल है एवं ट्रक उपरोक्त मु0अ0सं0 08/2023 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट में धारा 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है, जिसे न्यायालय विशेष न्यायाधीश, गैगेस्टर एक्ट, जालौन स्थान उरई द्वारा दिनांक 29.10.2025 को कुर्कशुदा ट्रक संख्या यू0पी0 75एटी–9706 को गैगेस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमें में वाहन स्वामी को प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

8. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 582 बी0एसन0एस0एस0 संख्या 25461/2025 रामवीर एवं दो अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य में इस मुकदमा अपराध संख्या 129/2022 अन्तर्गत धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, धारा 3(2) सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम एवं धारा 332, 353, 352, 307, 504, 506, 427, 420, 379, 411 भा0दं0सं0 थाना माधौगढ़, जिला जालौन के संबंध में आदेश दिनांक 08.07.2025 को पारित करा गया था, जिसके पैरा 12 में यह सम्प्रेक्षण करा गया है–

since the instant matter has been argued by learned counsel appearing for applicants only on the basis of legal issues, especially relying upon the jedgment of Hon'ble Apex court as well as coordinate Bench of this Court, there is no occasion available with the prosecution to continue and pursue the matter arising out of Case Crime no. 0129 of 2022 and the impugned cognizance/summoning order dated 30.11.2022 is hereby quashed and consequential proceeding in pursuance to the above cognizance/ summoning order dated 30.11.2022 is also quashed.

8. निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से अपने कथनों के समर्थन में प्रश्नगत वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बीमा प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है। पत्रावली पर मौजूद प्रपत्रों से यह स्पष्ट हो रहा है कि निगरानीकर्ता/आवेदक प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा उक्त वाहन दिनांक 13.05.2020 से 12.05.2023 तक बीमित है। प्रश्नगत वाहन के थाने पर खड़े रहने से उसके क्षतिग्रस्त

होने की पूरी संभावना है और खुले आसमान में किसी वाहन के खड़े होने से उसके सड़ने–गलने की भी संभावना रहती है।

विधि व्यवस्था सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ए0आई0आर0 (2003) एस0सी0–638 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित करा गया है कि धारा 451 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त अंतरिम कस्टडी की शक्ति का त्वरित व न्यायिक प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि कई उद्देश्यों की पूर्ति होगीः–

1–वाहन स्वामी को वाहन के खड़े रहने से नुकसान नहीं होगा।

2–न्यायालय या पुलिस को सम्पत्ति को सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी।

3–अगर सम्पत्ति को अवमुक्त किये जाने से पहले उसका पंचनामा तैयार कर लिया जाता है तो पंचनामे को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में इस्तेमाल किया जा सकता है और वाहन को न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 129/2022 अन्तर्गत धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, धारा 3(2) सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम एवं धारा 332, 353, 352, 307, 504, 506, 427, 420, 379, 411 भा0दं0सं0 थाना माधौगढ़, जिला जालौन के प्रकरण में कॉग्निजेंस/समनिंग को आदेश दिनांकित 08.07.2025 से समाप्त कर दिया गया है और साथ ही साथ इसमें उक्त कॉग्निजेंस/समनिंग आदेश दिनांकित 08.07.2025 के फलस्वरूप कृत्य कार्यवाहियों को भी समाप्त कर दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 582 बी0एसन0एस0एस0 संख्या 23461/2025 राम वीर एवं दो अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य में में पारित आदेश दिनांकित 08.07.2025 के आलोक में तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ए0आई0आर0 (2003) एस0सी0–638 में प्रतिपादित सिद्वान्त** से स्पष्ट है कि किसी मामले में अगर कोई वाहन पुलिस के द्वारा बरामद किया जाता है तो उसे अंतरिम कस्टडी में दिये जाने के लिए प्रदत्त शक्ति का त्वरित व न्यायिक प्रयोग किया जाना चाहिए, यह इसलिए आवश्यकता होता है, क्योंकि वाहन के थाने में खुले आसमान के नीचे खड़े रहने से वाहन के वाहन स्वामी को नुकसान होने की संभावना रहती है और न्यायालय व थाने को वाहन को संरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है तथा आलोच्य आदेश दिनांकित 03.12.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 202/2025 सचिन यादव प्रति राज्य उत्तर प्रदेश स्वीकार किया जाता है। प्रकीर्ण वाद संख्या 2369/2025 सरकार बनाम सचिन यादव मुकदमा अपराध संख्या 129/2022, अन्तर्गत धारा 323, 353, 352, 307, 504, 506, 427, 420, 379, 411 भा0दं0सं0 एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट एवं धारा 3(2) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना माधौगढ, जिला जालौन में पारित आदेश दिनांकित 03.12.2025 अपास्त किया जाता है।

प्रश्नगत प्रकरण में थाने में निरूद्ध वाहन संख्या यू0पी075एटी–9706 को आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता सचिन यादव के पक्ष में मुव0 20,00,000/–का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान

धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर इस शर्त के साथ अवमुक्त किया जाए कि–

1– आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता दौरान विचारण प्रश्नगत वाहन संख्या यू0पी075एटी–9706 के भौतिक स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही उसका विक्रय करेगा।

2– आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता प्रश्नगत वाहन संख्या यू0पी075एटी–9706 को न्यायालय अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा आहूत करने पर अपने व्यय पर प्रस्तुत करेगा।

3–आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता प्रश्नगत वाहन संख्या यू0पी075एटी–9706 के अवमुक्त होने पर उसका बीमा करवाकर उसके प्रति एक माह के अन्दर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करे।

इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांक–06.04.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6525

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–06.04.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6525